न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

प्रभाती देवी बनाम घीसालाल आदि

किस्म मुकदमा प्र. पत्र 128 एलआर मु.नं. 362 वर्ष 2025

पुराना नं. (184/2022)

दिनांक	आज्ञा - पत्र
8/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपरोक्त की ओर से श्री हरफूल सिंह चौधरी एड. ने वकालतनामा पेश किया जो शा.प. किया। वकील अप्रार्थीगण उप.। प्रस्तुत का तत्काल निस्तारण बाबत उभयपक्ष को बहस हेतु हिदायत करवाया जाकर बहस उभयपक्ष से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11/12/25 को पेश हो।
11/12/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। बहस पर मनन किया। समस्त पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वकील अप्रार्थीगण सं. 1,2,4 ता 7 के (1) आपत्ति आवेदन बाबत मौका रिपोर्ट दिनांकित 28/5/2025 तथा (2) आवेदन बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने दिनांकित 18.11.2025 को अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीया का आवेदन बाबत पत्थरगढ़ी को स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:45:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी— राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

<u>प्रार्थना—पत्र मु.सं. 362/2025 (पुराना मु.सं. 187/2022)</u>

प्रभाती देवी पुत्री माना देवी उम्र वर्ष जाति जाट निवासिनी ग्राम आंतरी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

— प्रार्थीया/आवेदिका

बनाम

01. घीसालाल पुत्र नारायण
02. प्रभुदयाल पुत्र नारायण
03. भूरी देवी पत्नी स्व. नारायण
04. मदनलाल पुत्र नारायण
05. रामप्रकश स्वामी पुत्र नारायण
06. सीताराम पुत्र नारायण
07. हरिराम स्वामी पुत्र नारायण दास स्वामी
    समस्त निवासीगण ढाणी ताखरान हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
08. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

— अप्रार्थीगण/अनावेदकगण

<u>आवेदन—पत्र अ. धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम, 1956</u>

<u>आवेदन बाबत पत्थरगड्डी</u>

उपस्थिति—

1. श्री हरफूल सिंह खीचड़, वकील प्रार्थीया/आवेदिका की ओर से
2. श्री बनवारीलाल बरवड़, वकील अप्रार्थीगण/अनावेदकगण सं. 1, 2, 4 ता 7 की ओर से

—:आदेशः—

दिनांक— .12.2025

वकील प्रार्थीया/आवेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "वाके ग्राम आंतरी पटवार हल्का बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसरा सं. 1197/361 रकबा 4.6900 हेक्टेयर की प्रार्थीया/आवेदिका काबिज, खातेदार काश्तकार है। पड़ौसी खातेदारान के मध्य विवाद होने पर आवेदिका की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो स्वीकार किया गया। आदेश क्रमांकः 22/2457/भू.अ. दिनांक 05.07.2022 की अनुपालना में सम्बन्धित पटवारी हल्का दिनांक 14.11.2022 को मौके पर पहुंच कर विधिवत रूप से सीमाज्ञान किया जाकर आवेदिका एवं पड़ौसी खातेदारान की सीमाओं का ज्ञान कराया गया तथा मौका रिपोर्ट मय नक्शा [illegible] 14.11.2022 को तैयार की गई। अनावेदकगण उक्त वर्णित भूमि के बीच [illegible] काश्तकार आवेदिका की उक्त भूमि पर अवरन कब्जा करने पर आमादा है। उक्त लोग आवेदिका की भूमि के सीमाचिन्हों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:45:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

जानबूझकर हटाने पर आमादा है, जिससे मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। भूमि की मौके पर सीमाज्ञान अनुसार एवं सीमाचिन्हों के अनुसार पत्थरगड्डी करवाया जाना न्यायोचित है। आवेदन उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदिका की भूमि खसरा नम्बर खसरा सं. 1197/361 रकबा 4.6900 हेक्टेयर वाके ग्राम आंतरी पटवार हल्का बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की पत्थरगड्डी करवाई जावें।"

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 3 पर विधिवत तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से तामील पूर्ण होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4 ता 7 की ओर से श्री बनवारी लाल बरवड़, एड. ने वकालतनामा पेश कर मदवार विस्तृत जवाब पेश किया गया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि "मद सं. 1 जिस प्रकार से तहरीर की गई है, गलत होने से अस्वीकार है। भूमि खसरा सं. 361 रकबा 9.3700 हेक्टेयर वाके ग्राम आंतरी तहसील धोद वर्तमान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में भूमि खसरा सं. 362 रकबा 1.6800 हेक्टेयर, जिसको लेकर के प्रार्थीया द्वारा प्रभाती द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद के समक्ष प्रकरण सं. 58/2014 पेश किया गया था, जिसमें उत्तरदातागण को सूचना व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। क्योंकि जवाबदातागण नौकरी पेशा के लिए बाहर रहते थे। दावे में जो तामील करवाये गये, जो फर्जी तरीके से तामील करवाकर एकपक्षीय निर्णय डिक्री प्राप्त कर ले गये, जिसको लेकर के जवाबदाता सं. 6 द्वारा आपत्ति पेश की गई। जिसमें राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 20.10.2015 मु.सं. 218/2015 में अपीलांट की अपील में स्थगन जारी कर राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति वय अंतरण नहीं करने के लिए पाबंद किया गया था। अपीलांट के बीमार होने के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। अपीलांट की दिनांक 18.06.2018 को अपील खारिज कर दी गई। अपीलांट जवाबदाता द्वारा बाजदायरी पेश किया गया। परन्तु प्रभाती देवी चालाक महिला होने के कारण उन्होने बाला बाला अपीलांट की भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया जिसमें अपीलांट व जवाबदाता के हस्ताक्षर फर्जी है। मौका रिपोर्ट दिनांक 11.11.2022 पर जवाबदाता द्वारा न ही कोई हस्ताक्षर किये तथा न ही मौका रिपोर्ट पर मौजूद थी। मौका रिपोर्ट एकपक्षीय है। एकपक्षीय मौका रिपोर्ट बिना खातेदार व सहखातेदार को सुने एकपक्षीय सुनकर पेश नहीं किए जा सकती है। इसलिए प्रार्थीया का आवेदन विधि व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होने के कारण मौका रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थीया की मौका रिपोर्ट निरस्तनीय है। मौका रिपोर्ट निराधार होने के कारण प्रार्थीया का आवेदन भी निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थीया के कथनों के अनुसार दिनांक 14.11.2022 की रिपोर्ट बता रहे है। जबकि पटवारी हल्का के हस्ताक्षर पर दिनांक 11.11.2022 है तथा तहसीलदार के हस्ताक्षर के पास दिनांक 18.12.2022 है, जिससे यह सिद्ध एवं प्रमाणित होता है कि तहसीलदार मौके पर नहीं गया। जबकि रास्ता व पत्थरगड्डी की कार्यवाही करने के लिए राजस्व म[illegible] अनुसार तहसीलदार की मौका स्थिति निरीक्षण करने को अधिकृत है। परन्तु [illegible] द्वारा साजिशपूर्वक पटवारी व गिरदावर से एकपक्षीय कार्यवाही करवाई गई है, जो [illegible]नीय है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में ही राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष बाजदायरी विचाराधीन है। पूर्व में विचाराधीन अपील आवेदन रहते हुए प्रार्थीया को अकेली को कोई पत्थरगड्डी व सीमाज्ञान करने का काई हक, अधिकार नहीं है। जवाबदातागण उक्त भूमि के सहखातेदारान है, जिस भूमि का प्रार्थीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:45:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

सीमाज्ञान करवाना चाहती है। उसमें जवाबदाता का आवासीय मकान व पशुओं का बाड़ा है, जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर जवाबदाता ही काबिज, काश्त चले आ रहे है। इसलिए मौके पर सीमाचिन्हों को मिटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का आवेदन वेग होने के कारण निर्णय डिक्री दिनांक 19.06.2015 की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण प्रार्थीया का अवेदन चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावें।''

उक्त अप्रार्थीगण की ओर से दो अन्य आवेदन पेश किये गये– (1) आपत्ति आवेदन बाबत मौका रिपोर्ट दिनांकित 28.05.2024 में सारतः उल्लेखित किया कि ''प्रार्थीया द्वारा भूमि खसरा सं. 361, 362 को लेकर तथा अपील की कार्यवाही को छुपाकर बाला बाला एकपक्षीय रूप से मौका रिपोर्ट दिनांक 11.11.2022 को करवाई गई है, जिस रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा मौका देखकर मौके पर जाकर हस्ताक्षर नहीं किए गए है तथा ना ही तहसीलदार महोदय मौके पर गये। ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से की गई होने के कारण उक्त मौका रिपोर्ट एकपक्षीय एवं विरोधाभासी होने के कारण निरस्त किया जावें।'' उक्त आवेदन का जवाब वकील प्रार्थीया ने पेश नहीं किया।

(2) आवेदन बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने दिनांकित 18.11.2025 में सारतः उल्लेखित किया कि ''आवेदिका एवं अनावेदकगण की कृषि भूमि खसरा सं. 1197/361 रकबा 4.6900 हेक्टेयर व खसरा सं. 362 रकबा 1.6800 हेक्टेयर वाके ग्राम आंतरी पटवार हल्का बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित है, जिसमें दोनों ही पक्षकार आपस में खातेदार, काश्तकार है। अनावेदकगणों ने मौके पर विगत करीब 100 वर्षों से आवासीय मकान बना रखे है तथा सीमाओं पर काफी बड़े–बड़े वर्षों पुराने पेड़ खडे हुए है। आवेदिका एकपक्षीय रूप से पटवारी हल्का से साजिश करके अनावेदक की भूमि को हड़पने के लिए गलत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगड्डी करवाना चाहती है तथा अनावेदक को बेदखल करवाना चाहती है। जो किसी भी दृष्टि से उचित आवश्यक एवं न्याय संगत नहीं है। उक्त स्थिति में प्रस्तुत पत्रावली में विवादित भूमि की मौके की वर्तमान स्थिति रिकार्ड पर लिया जाना उचित व आवश्यक है। मौके की वास्तविक स्थिति रिकार्ड पर आने से माननीय न्यायालय को भी प्रकरण का निस्तारण करने मे सुविधा होगी। न्यायहित में मौके की वास्तविक स्थिति रिकार्ड पर लाने के लिए मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाना उचित है। अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर मौके की वास्तविक स्थिति रिकार्ड पर लाने के लिए मौका कमिश्नर नियुक्त किया जावें।'' उक्त आवेदन का जवाब वकील प्रार्थीया ने पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया कि ''आवेदक द्वारा दिनांक 14.11.2022 को भूमि का सीमाज्ञान करवाकर मौके पर चिन्ह बताये गये है। भूमि विभाजनशुदा है, खसरा मैप में सीमा तय है। पड़ौसी खातेदार से विवाद इसलिए है कि पड़ौसी द्वारा सीमाज्ञान हुई भूमि पर अतिक्रमण करने पर विवाद हुआ है। मौके पर कमिश्नर का आवेदन इसलिए चलने योग्य नहीं है। क्योंकि भूमि के पद चिन्ह के अनुसार कब्जा होने से मौका कमिश्नर का आवेदन न्याय में देरी हेतु पेश करने के कारण से खारिज किया जावें।''

समग्र पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पत्रावली के समग्र निस्तारण बाबत उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अवगत करवाया जाकर बहस हेतु नियत किया गया।

बहस उभयपक्ष से सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया के हस्तगत आवेदन में दर्ज कथनों को दोहराते हुये वकील अप्रार्थीगण के आपत्ति आवेदन व मौका कमिश्नर आवेदन को खारिज किये जाकर प्रार्थीया के आवेदन को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत में वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब आवेदन में तथा आपत्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:45:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सीकर जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन व मौका कमिश्नर आवेदन में दर्ज कथनों को दोहराते हुये उनके उक्त आवेदनों को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 वाके ग्राम आंतरी पटवार हल्का बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के अनुसार विवादित आराजी खसरा सं. 1197/361 रकबा 4.6900 हेक्टेयर की खातेदारी वर्तमान में एकमात्र खातेदार प्रार्थीया/आवेदिका प्रभातीदेवी पुत्री मानादेवी के नाम से दर्ज है। कोई भी खातेदार अपने आराजी के संबंध में सीमाज्ञान के बाद पत्थरगड्डी करवा सकता है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित आराजी में एकमात्र खातेदार है। साथ ही सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांकित 11.11.2022 के अनुसार प्रार्थीया/आवेदिका के उक्त वर्णित आराजी खसरा सं. 1197/361 के संबंध में सीमाज्ञान पूर्ण हो चुका है।

इसके विपरीत प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4 ता 7 की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्तानुसार क्रम सं. (1) व (2) पर वर्णित आवेदनों का अलग–अलग निस्तारण इस प्रकार से किया जा रहा है–

(1) आपत्ति आवेदन बाबत मौका रिपोर्ट दिनांकित 28.05.2024– में वकील आपत्तिकर्तागण/अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4 ता 7 ने प्रार्थीया द्वारा भूमि खसरा सं. 361, 362 के संबंध में अपील के विचाराधीन होने के बावजूद मौका रिपोर्ट दिनांकित 11.11.2022 को एकपक्षीय एवं विरोधाभासी होने बाबत आक्षेप लगाकर उक्त मौका/सीमाज्ञान रिपोर्ट को निरस्त करने का अनुरोध किया है। लेकिन वर्णित आराजी के संबंध में कोई अपील विचाराधीन होने संबंधी तथ्य अथवा दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और ना ही वकील आपत्तिकर्तागण/अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4 ता 7 की ओर से ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत किया है, जिससे उनके उक्त आपत्ति आवेदन में वर्णित तथ्यों व आक्षेपों की पुष्ठि होती हों। साथ ही हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया के द्वारा अपने आवेदन में खसरा सं. 1197/361 के बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगड्डी करवाना चाहा है। अतः उक्तानुसार विवेचन के आधार पर उक्त आपत्ति आवेदन बाबत मौका रिपोर्ट दिनांकित 28.05.2024 को अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(2) आवेदन बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने दिनांकित 18.11.2025– में वकील आपत्तिकर्तागण/अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4 ता 7 ने प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की कृषि भूमियों खसरा सं. 1197/361 रकबा 4.6900 हेक्टेयर व खसरा सं. 362 रकबा 1.6800 हेक्टेयर में दोनों ही पक्षकार आपस में खातेदार, काश्तकार होने से उक्त आराजियात की मौके की वास्तविक स्थिति रिकार्ड पर लाने के लिए मौका कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट प्राप्त करने बाबत अनुरोध किया है। लेकिन प्रार्थीया के हस्तगत पत्थरगड्डी बाबत आवेदन में वर्णित आराजी खसरा सं. 1197/361 के संबंध में है। साथ ही वकील आपत्तिकर्तागण/अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4 ता 7 की ओर से ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत किया है, जिससे उनके उक्त मौका कमिश्नर आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुष्ठि होती हों। चूंकि आराजी खसरा सं. 1197/361 की सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्रावली पर प्राप्त हो चुकी है। अतः इस स्तर पर मौका कमिश्नर रिपोर्ट लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्तानुसार विवेचन के आधार पर उक्त आवेदन बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने दिनांकित 18.11.2025 को अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:45:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सीकर जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्तानुसार हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया/आवेदिका अपनी खातेदारी की भूमि खसरा सं. 1197/361 का सीमाज्ञान करवाकर पत्रावली में पेश कर चुकी है। नियमानुसार सीमाज्ञान के बाद पत्थरगड्डी के आदेश किये जाने होते है। अतः प्रार्थीया/आवेदिका का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः वकील अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4 ता 7 के (1) आपत्ति आवेदन बाबत मौका रिपोर्ट दिनांकित 28.05.2024 तथा (2) आवेदन बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने दिनांकित 18.11.2025 को अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीया का आवेदन बाबत पत्थरगड्डी को स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम आंतरी पटवार हल्का बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 1197/361 रकबा 4.6900 हेक्टेयर का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांकित 11.11.2022 के अनुसार पत्थरगड्डी करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को पालनार्थ लिखा जावें कि वह प्रकरण में सभी आवश्यक प्रभावित पक्षकार/प्रार्थी को जरिये नोटिस/उचित माध्यम से सूचित कर उनकी उपस्थिति में विधिपूर्वक पत्थरगड्डी की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। उक्त पत्थरगड्डी के आदेश केवल प्रार्थी की आराजी की सीमाचिन्ह निर्धारण बाबत है अन्य कब्जे संबंधी तथ्यों बाबत उपयोग में नहीं आवें। पालनार्थ तदनुसार तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:45:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner